NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-11-2024

विषय सूची

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध विध्वंसों पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024

त्ठप् ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) की सूची जारी की

ट्रम्प की जीत के बाद बिटकॉइन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा

बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की शताब्दी

संक्षिप्त समाचार

कुटुम्ब प्रबोधन (Kutumb Prabodhan)

स्वास्तिक पहल (SVASTIK Initiative)

अमेरिका-भारत हिंद महासागर वार्ता

मिश्रित सेमाग्लूटाइड (Compounded Semaglutide) पर चिंताएं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

यूरेनस (Uranus)

विझिनजाम तट पर समुद्री पशुपालन का शुभारंभ

अभ्यास 'पूर्वी प्रहार' (Exercise 'Poorvi Prahar')

ऑपरेशन कवच (Operation Kawach)

बुकर पुरस्कार 2024

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध विध्वंसों पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश

सन्दर्भ

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा लोगों के घरों और निजी संपत्तियों को 'केवल इस आधार पर ध्वस्त करने' पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि उन पर कोई अपराध का आरोप है।

पृष्ठभूमि

- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में दंडात्मक उपाय के रूप में संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा देखी गई है।
- इन ध्वस्तीकरणों को प्रायः अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण के आधार पर उचित ठहराया गया है, लेकिन इससे वैधता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

अवैध विध्वंस के संबंध में चिंताएँ

निजी संपत्ति का अवैध विध्वंस एक गंभीर मुद्दा है जो कई कानूनी और नैतिक चिंताएं उत्पन्न करता है।

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। आश्रय के अधिकार को इस अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है, और अवैध विध्वंस व्यक्तियों को उनके घरों एवं बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित कर सकता है।
- **प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन**: इस सिद्धांत के लिए निष्पक्ष व्यवहार और निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अवैध विध्वंस प्रभावित व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान न करके इस सिद्धांत का उल्लंघन कर सकते हैं।
- **कानून के शासन का क्षरण:** अवैध विध्वंस कानून के शासन को कमजोर करते हैं और दंड से मुक्ति की संस्कृति को जन्म दे सकते हैं।
- **शासन संबंधी चिंताएँ:** इस तरह की कार्रवाइयाँ सरकार की विश्वसनीयता को हानि पहुँचा सकती हैं और जनता का विश्वास समाप्त कर सकती हैं।
- **विस्थापन और कठिनाई:** अवैध विध्वंस से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए विस्थापन, आजीविका की हानि एवं महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई हो सकती है।
- **सामाजिक अशांति**: इस तरह की कार्रवाइयाँ विरोध और सामाजिक अशांति को भड़का सकती हैं, जिससे स्थिति अधिक अस्थिर हो सकती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख दिशा-निर्देश

- **15-दिन का नोटिस:** कानूनी चुनौती के लिए विध्वंस से पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।
- **उचित प्रक्रिया:** विध्वंस में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कारण बताए जाने चाहिए।
- **विधिक समर्थन:** विध्वंस के लिए उचित प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आवश्यक होने पर न्यायालय के आदेश भी शामिल हैं।
- **आश्रय का अधिकार:** विध्वंस केवल आरोपों के आधार पर नहीं होना चाहिए; अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार पर बल दिया जाता है।

- **चुनौती का अधिकार:** संपत्ति के मालिक और किराएदार नोटिस अवधि के दौरान विध्वंस के आदेशों को चुनौती दे सकते हैं।
- **जवाबदेही:** अवैध विध्वंस करने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई, अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें मुआवज़ा देना पड़ सकता है।
- **व्यक्तिगत सुनवाई:** विध्वंस के आदेशों को अंतिम रूप देने से पहले प्रभावित पक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के हकदार हैं।
- **वीडियोग्राफी की आवश्यकता:** पारदर्शिता के लिए विध्वंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- **अवमानना और प्रतिपूर्ति:** दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों के लिए अवमानना की कार्यवाही और प्रतिपूर्ति लागत हो सकती है।
- **छूट:** सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत संरचनाओं या न्यायालय द्वारा आदेशित विध्वंस पर सुरक्षा लागू नहीं होती है।

निष्कर्ष

- उच्चतम न्यायलय के दिशा-निर्देश विध्वंस की प्रक्रिया में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- नोटिस अवधि, व्यक्तिगत सुनवाई और वीडियोग्राफी को अनिवार्य करके, न्यायालय का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना एवं अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई को रोकना है।
- ये दिशा-निर्देश उचित प्रक्रिया का पालन करने और कानून के शासन का सम्मान करने के महत्व को भी उजागर करते हैं, जिससे राज्य के कानूनों के लिए इन सिद्धांतों के अनुरूप एक उदाहरण कायम होता है।

Source: IE

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024

सन्दर्भ

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परिचय

- ये दिशा-निर्देश झूठे/भ्रामक दावों, अतिरंजित सफलता दरों और कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों पर प्रायः लगाये जाने वाले अनुचित अनुबंधों के बारे में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर तैयार किए गए हैं।
- ऐसी प्रथाओं को छात्रों को गुमराह करने, महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने, झूठी गारंटी देने आदि के माध्यम से उनके निर्णयों को प्रभावित करने के लिए पाया गया है।

दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण परिभाषा

- **कोचिंग** में शैक्षणिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन, निर्देश, अध्ययन कार्यक्रम या ट्यूशन या समान प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि शामिल है, लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, थिएटर और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं;

- **कोचिंग सेंटर** में पचास से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र शामिल है;
- **'प्रचारक(Endorser)'** का वही अर्थ होगा जो भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन, 2022 के दिशानिर्देश के खंड 2(f) के तहत प्रदान किया गया है।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **विज्ञापनों का विनियमन:** दिशा-निर्देश कोचिंग संस्थानों को निम्नलिखित से संबंधित झूठे दावे करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं:
  - पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क और धनवापसी नीतियाँ।
  - चयन दर, सफलता की कहानियाँ, परीक्षा रैंकिंग और रोजगार सुरक्षा के वादे।
  - सुनिश्चित प्रवेश, उच्च परीक्षा स्कोर, गारंटीकृत चयन या पदोन्नति।
- **सत्य प्रतिनिधित्व:** उनकी सेवाओं की गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक प्रतिनिधित्व सख्त वर्जित है। कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं का सही-सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ अभिसरण:** प्रत्येक कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता होगी, जिससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में चिंता या शिकायत करना आसान हो जाएगा।
- **निष्पक्ष अनुबंध:** कोचिंग संस्थानों को अब चयन के बाद की सहमति के बिना सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों, नामों या प्रशंसापत्रों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- **झूठी तात्कालिकता का निर्माण नहीं:** दिशा-निर्देशों का उद्देश्य कोचिंग में सामान्य प्रथाओं को संबोधित करना है जो सीमित सीटों का सुझाव देने या मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसी झूठी तात्कालिकता या कमी प्रदर्शित करते हैं।
- **प्रवर्तन और दंड:** इन दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय प्राधिकरण के पास दंड लगाने सहित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

- इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया है और इसका उद्देश्य उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने में इसके दायरे को व्यापक बनाना है।
- नया अधिनियम किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी देने और भ्रामक विज्ञापन जैसे अपराधों को मान्यता देता है।
- यह अधिनियम जुलाई 2020 में लागू हुआ और यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और अपने विभिन्न अधिसूचित नियमों तथा प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी सहायता करेगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की

स्थापना करती है, जिसका उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।

- **CCPA की शक्तियां और कार्य: इसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:**
  - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और शिकायत/अभियोजन शुरू करना
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना
  - अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना।

Source: PIB

RBI ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) की सूची जारी की

समाचार में

- RBI ने 2023 की तरह ही बकेट स्ट्रक्चर के तहत 2024 के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) के रूप में बरकरार रखा है।
  - SBI और ICICI को क्रमशः 2015 और 2016 में D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि HDFC 2017 में इसमें शामिल हुआ था।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के बारे में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उन बैंकों को D-SIB का दर्जा देता है जिन्हें उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली के अंदर परस्पर जुड़ाव के कारण "बहुत बड़ा(Too Big to Fail)" माना जाता है।
- RBI द्वारा 2014 में निर्धारित रूपरेखा के आधार पर D-SIB वर्गीकरण को वार्षिक अपडेट किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को उनके जोखिम प्रोफाइल और पूंजी आवश्यकताओं के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात से जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWA) पर आधारित है।
  - बकेट 1 में शामिल बैंकों को सबसे कम कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) कैपिटल सरचार्ज बनाए रखना होगा, जबकि बकेट 5 में शामिल बैंकों को सबसे ज़्यादा CET1 बफर बनाए रखना होगा।
  - RBI सिस्टमिक महत्व निर्धारित करने के लिए GDP के 2% से ज़्यादा आकार वाले बैंकों का मूल्यांकन करता है। एक सीमा से ऊपर के बैंकों को D-SIB के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें एक बकेट दी जाती है, जो उनकी CET1 आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
- **भारत में कार्यरत विदेशी बैंक:** वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अन्य वैश्विक विनियामकों के साथ मिलकर, प्रतिवर्ष वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान करता है।
  - (G-SIBs) के रूप में नामित विदेशी बैंकों को देश में अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) के अनुपात में भारत में CET1 पूंजी बनाए रखनी चाहिए।

- **कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1):** यह बैंक की पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी वित्तीय शक्ति का एक प्रमुख माप है। CET1 पूंजी में बैंक के सामान्य शेयर, प्रतिधारित आय और

अन्य व्यापक आय शामिल हैं, जिसमें अमूर्त संपत्ति और स्थगित कर संपत्ति जैसी वस्तुएँ शामिल नहीं हैं जो घाटे को अवशोषित करने की इसकी क्षमता को कम कर सकती हैं।

- **जोखिम भारित संपत्तियाँ (RWA):** इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैंक को संभावित घाटे को कवर करने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी रखने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक वित्तीय तनाव के समय में स्थिर रहे। डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर परिसंपत्तियों को अलग-अलग जोखिम भार (जैसे, नकदी के लिए 0%, ऋण के लिए उच्च प्रतिशत) दिए जाते हैं।
    - ऋण या डेरिवेटिव जैसी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों का भार अधिक होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

D-SIB वर्गीकरण के लाभ

- **बढ़ी हुई स्थिरता:** जटिल परिचालन वाले बड़े बैंक निरंतर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।
    - उच्च पूंजी भंडार की आवश्यकता के द्वारा, RBI यह सुनिश्चित करता है कि D-SIB आर्थिक मंदी से निपटने, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करने और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।
- **प्रणालीगत सुरक्षा उपाय:** यह वर्गीकरण प्रमुख बैंकों के बीच जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे विघटनकारी बैंक विफलताओं का जोखिम कम होता है।
- **भविष्य के आघातों के लिए तैयारी:** RBI का D-SIB ढांचा बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं में सक्रिय समायोजन की अनुमति देता है, जिससे वित्तीय प्रणाली भविष्य की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रत्युत्तर दे पाती है।

चुनौतियां

- **नैतिक जोखिम:** "बहुत बड़ा बैंक विफल नहीं हो सकता" की धारणा संकट के समय में D-SIBs के लिए सरकारी समर्थन की अपेक्षाएं उत्पन्न कर सकती है, जो अनजाने में जोखिम लेने को प्रोत्साहित कर सकती है और बाजार अनुशासन को कम कर सकती है।
- **प्रतिस्पर्धी विकृतियाँ:** छोटे बैंक, जिन्हें D-SIBs के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें इन बड़े संस्थानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है, जो निवेशकों के विश्वास और उनकी कथित स्थिरता से जुड़े बाजार लाभों से लाभान्वित होते हैं
- **बढ़ी हुई लागत:** उच्च पूंजी आवश्यकताओं के कारण D-SIBs के लिए परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है, जो संभावित रूप से बैंकिंग उद्योग में उनकी लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- D-SIBs वर्गीकरण भारत की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक चुनौतियों के दौरान भी आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध रहें। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और इसका वित्तीय परिदृश्य विकसित होता है, RBI का D-

SIBs ढांचा विस्तार करना जारी रख सकता है, जिससे संभावित रूप से सूची में अधिक संस्थान जुड़ सकते हैं।

- सक्रिय विनियमन और जोखिम प्रबंधन के साथ, D-SIBs भारत की आर्थिक वृद्धि और लचीलेपन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

Source: TH

ट्रम्प की जीत के बाद बिटकॉइन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा

सन्दर्भ

- विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प की ऐतिहासिक जीत के बाद सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है, जिससे इसे नकली बनाना या दोहरा व्यय करना कठिन हो जाता है।
- यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर कार्य करता है - कंप्यूटर के नेटवर्क द्वारा लागू किया जाने वाला एक वितरित खाता बही।
- क्रिप्टोकरेंसी को सामान्यतः किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, जो उन्हें सैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से मुक्त बनाता है।

क्रिप्टोकरेंसी की मुख्य विशेषताएं

- **विकेंद्रीकरण:** अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कार्य करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक इकाई का पूरे नेटवर्क पर नियंत्रण न हो।
- **सुरक्षा:** ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग प्रूफ ऑफ वर्क (PoW) या प्रूफ ऑफ स्टेक (PoS) जैसे सहमति तंत्रों के माध्यम से सुरक्षा की एक परत भी जोड़ता है।
- **पारदर्शिता और गुमनामी:** ब्लॉकचेन तकनीक लेनदेन के पारदर्शी रिकॉर्ड रखने की अनुमति देती है जो नेटवर्क पर सभी प्रतिभागियों को दिखाई देती है।
    - इसके बावजूद, क्रिप्टोकरेंसी प्रायः उपयोगकर्ता की गुमनामी की एक डिग्री प्रदान करती हैं।
- **वैश्विक पहुँच:** क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा रूपांतरण या महत्वपूर्ण शुल्क की आवश्यकता के बिना तेज़ी से और कुशलता से सीमाओं के पार स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **स्वामित्व:** क्रिप्टोकरेंसी धारकों के पास अपनी डिजिटल संपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व होता है, जो निजी कुंजियों द्वारा सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत होती हैं।

ब्लॉकचेन तकनीक

- ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेन्द्रीकृत, वितरित खाता प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों में लेनदेन को इस तरह से रिकॉर्ड करती है कि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
- ब्लॉकचेन नेटवर्क लेनदेन को मान्य करने और नेटवर्क अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति

एल्गोरिदम पर निर्भर करते हैं।
  - ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि केवल वैध लेनदेन ही श्रृंखला में जोड़े जाएं।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी चुनौतियाँ

- **विनियामक अनिश्चितता:** स्पष्ट, सुसंगत विनियमन की कमी नवाचार को रोकती है, बाजारों को खंडित करती है, और निवेशकों को असुरक्षित बनाती है।
- **बाजार में अस्थिरता:** क्रिप्टोकरेंसी अपने मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए जानी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त वित्तीय हानि हो सकती है।
- **उपभोक्ता संरक्षण का अभाव:** अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में उपभोक्ता संरक्षण का अभाव है। इस अनुपस्थिति के कारण धोखाधड़ी, घोटाले और पीड़ितों के लिए सीमित सहारा के साथ धन की हानि हुई।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** प्रूफ-ऑफ-वर्क माइनिंग की ऊर्जा-गहन प्रकृति, विशेष रूप से बिटकॉइन में, इसकी स्थिरता और पर्यावरणीय पदचिह्न के बारे में चिंताएं उत्पन्न करती है।

भारत का क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य

- **कराधान नीतियाँ:** भारत सरकार ने 2022 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाया, साथ ही प्रत्येक लेनदेन पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) भी लगाई।
  - इन सख्त उपायों ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए घरेलू उत्साह को कम कर दिया है।
- **विनियामक अनिश्चितता:** 2018 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की सुविधा देने से प्रतिबंधित कर दिया, इसे "मैक्रो-इकोनॉमिक जोखिम" करार दिया।
  - इस निर्णय को 2020 में उच्चतम न्यायालय ने बदल दिया।

आहे की राह

- **व्यापक विनियमन:** स्पष्ट, संतुलित नीतियाँ जो सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति को रेखांकित करती हैं।
- **निवेशक शिक्षा:** निवेशकों को डिजिटल परिसंपत्तियों के जोखिमों और लाभों के बारे में सूचित करने की पहल।
- **सहयोगी ढाँचे:** समन्वित विनियमन और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी।

Source: IE

बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की शताब्दी

समाचार में

- भारत ने हाल ही में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की शताब्दी मनाई, जो भौतिक विज्ञानी सत्येन्द्र नाथ बोस का एक अभूतपूर्व योगदान था, जिसने आधुनिक भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी को नया रूप दिया।

बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (BEC) के बारे में

- BEC पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, जिसमें बड़ी संख्या में बोसोन एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं। यह अत्यंत कम तापमान पर, लगभग पूर्ण शून्य पर होता है।
- BEC में अतिप्रवाहिता और अतिचालकता जैसे अद्वितीय गुण होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और सटीक माप जैसे क्षेत्रों में इनके अनुप्रयोग हैं।

बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का महत्व

- इसने क्वांटम यांत्रिकी और सांख्यिकीय यांत्रिकी की हमारी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।
- इसने लेजर, ट्रांजिस्टर और सुपरकंडक्टर सहित कई तकनीकी प्रगति का विकास किया है।
- यह आधुनिक भौतिकी अनुसंधान में एक मौलिक उपकरण बना हुआ है।

प्रमुख तथ्य

- बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करने वाले कणों को "बोसोन" के रूप में जाना जाता है।
- बोसोन, फ़र्मियन के विपरीत, पॉली अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं।
- इसका तात्पर्य है कि कई बोसोन एक ही क्वांटम अवस्था में रह सकते हैं।
- बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग फोटॉन, फोनन और अन्य बोसॉनिक कणों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- इसके कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं, जिनमें संघनित पदार्थ भौतिकी, क्वांटम प्रकाशिकी और खगोल भौतिकी शामिल हैं।
- भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन और सामग्री में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह मिशन 2047 तक आत्मनिर्भरता के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

कुटुम्ब प्रबोधन(Kutumb Prabodhan)

सन्दर्भ

- भारत के उपराष्ट्रपति ने समाज में 'कुटुम्ब प्रबोधन' पर ध्यान केन्द्रित करने के महत्व पर बल दिया।

परिचय

- कुटुंब का अर्थ है परिवार और प्रबोधन का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना।
- इसका अर्थ है परिवारों और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करना।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य पारिवारिक बंधनों के माध्यम से युवा पीढ़ी में संस्कार (मूल्य) डालना है।
- इसका अंतिम लक्ष्य समान नैतिक आचरण और मानवीय मूल्यों वाला समुदाय/समाज बनाना है।

Source: PIB

स्वास्तिक पहल(SVASTIK Initiative)

समाचार में

- हाल ही में CSIR-NIScPR और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में स्वास्तिक पहल के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

SVASTIK (वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक पारंपरिक ज्ञान) के बारे में

- **लॉन्च:** CSIR-NIScPR (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च) द्वारा।
- **उद्देश्य:** पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के अंतर को समाप्त, विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं के वैज्ञानिक आधारों पर प्रकाश डालना।
- **कार्य:** SVASTIK कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं की पहचान करता है।
- शोधकर्ता और विशेषज्ञ दृढ शोध और विश्लेषण के माध्यम से इन प्रथाओं को वैज्ञानिक रूप से मान्य करने के लिए सहयोग करते हैं।
- इसके बाद मान्य ज्ञान को विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है।

Source: PIB

अमेरिका-भारत हिंद महासागर वार्ता

सन्दर्भ

- भारत और अमेरिका पहली बार अमेरिका-भारत हिंद महासागर वार्ता आयोजित करने जा रहे हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर केंद्रित होगी।

पृष्ठभूमि

- 2015 में भारत-अमेरिका ने एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अपना संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण जारी किया।
- यह संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- दोनों देश तकनीकी नवाचार और उत्पादन पर सहयोग को और बढ़ाने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पहल अंतर-सत्र में भाग लेंगे।

भारत-अमेरिका संबंधों का महत्व

- भारत और अमेरिका दोनों ही जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (Quad) के सदस्य हैं।
- यह साझेदारी समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और प्रौद्योगिकी साझाकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करती है।
- दोनों राष्ट्र एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

- भारत-अमेरिका साझेदारी क्षेत्र में अन्य शक्तियों, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सहायता करती है।
- यह साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देती है।
- दोनों देश जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन रणनीतियों पर सहयोग करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लचीलापन बनाने के लिए विशेषज्ञता एवं प्रौद्योगिकी साझा करते हैं।

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पहल

- यह AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत एवं अमेरिका के बीच सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है।
- यह तकनीकी नवाचार और उत्पादन को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि दोनों देश अत्याधुनिक अनुसंधान में सबसे आगे रहें।

Source: TH

मिश्रित सेमाग्लूटाइड (Compounded Semaglutide) पर चिंताएं

समाचार में

- लोकप्रिय मधुमेह और वजन घटाने वाली दवाओं वेगोवी और ओज़ेम्पिक की निर्माता नोवो नॉर्डिस्क, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उदाहरण देते हुए, इन दवाओं के मिश्रित संस्करणों पर सख्त नियमन की मांग कर रही है।

परिचय

- वेगोवी और ओज़ेम्पिक नोवो नॉर्डिस्क द्वारा निर्मित दवाएँ हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से मोटापे और टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए किया जाता है।
- दोनों दवाओं में सेमाग्लूटाइड होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, भूख कम करने और वजन घटाने को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
- वजन और मधुमेह के प्रबंधन में उनकी प्रभावशीलता के कारण दोनों दवाओं की बहुत माँग है, जिसके कारण कुछ फ़ार्मेसियाँ कमी को पूरा करने के लिए मिश्रित संस्करण बनाती हैं।

Source: IE

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

समाचार में

- सरकार ने PMUY के माध्यम से 10.3 करोड़ LPG कनेक्शन वितरित किए हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में

- इसे 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्यों के नाम पर जमा राशि मुक्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए लॉन्च किया गया था।

- इसका उद्देश्य पारंपरिक ईंधन से होने वाले इनडोर वायु प्रदूषण को कम करके स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

- **विशेषताएँ:** यह योजना पहली रिफिल और एक स्टोव सहित पूरी तरह से मुफ़्त LPG कनेक्शन प्रदान करती है।
  - यह योजना सभी PMUY उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे वित्तीय भार कम होता है और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को अपनाने को बढ़ावा मिलता है।
- **LPG के लाभ:** इनडोर प्रदूषण को कम करता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करता है।
  - जलाऊ लकड़ी एकत्रित करने का भार कम करता है, जिससे महिलाओं के लिए समय बचता है।
  - लकड़ी और बायोमास पर निर्भरता कम करके वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण को कम करता है।
- **प्रगति:** 1 जुलाई, 2024 तक 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिसमें LPG कवरेज अप्रैल 2016 के 62% से बढ़कर लगभग संतृप्ति के करीब पहुंच गया है।
- **ग्रामीण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव**: ठोस ईंधन से परिवर्तन से श्वसन संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
  - महिलाओं के लिए समय और श्रम की बचत होती है, जिससे आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है।
  - आग के खतरों को कम करता है, घरेलू सुरक्षा को बढ़ाता है, विशेष महिलाओं और बच्चों के लिए।

Source : TH

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने 40 लेखापरीक्षा मानकों को मंजूरी दी, जिनमें से कई को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की आपत्तियों के बावजूद वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

- यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 2018 में गठित एक वैधानिक निकाय है।
- कार्य और कर्तव्य:
  - केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करना;
  - लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करना और उसे लागू करना;

- ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय सुझाना;
- ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्य करना जो उपरोक्त कार्यों एवं कर्तव्यों के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हो सकते हैं।

Source: TOI

यूरेनस (Uranus)

सन्दर्भ

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 1986 में यूरेनस के पास से उड़ान भरने वाला पहला और एकमात्र मिशन, वोएजर 2(Voyager 2) अंतरिक्ष यान, उस समय यूरेनस से होकर गुजरा था, जब इसका चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा द्वारा असामान्य रूप से संकुचित था।
  - चुंबकीय क्षेत्र किसी ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है, जहाँ ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र प्रभुत्वशाली होता है, जो सौर और ब्रह्मांडीय कण विकिरण के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाता है।

यूरेनस ग्रह के बारे में

- यूरेनस सूर्य से सातवाँ ग्रह है, और यह हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है - पृथ्वी से लगभग चार गुना चौड़ा।
- यह फीके छल्लों और दो दर्जन से अधिक छोटे चंद्रमाओं से घिरा हुआ है क्योंकि यह अपनी कक्षा के तल से लगभग 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। यह अद्वितीय झुकाव यूरेनस को अपनी तरफ घूमता हुआ प्रतीत होता है।
- यह एक बहुत ठंडा और हवादार ग्रह है जो बड़ी मात्रा में मीथेन के कारण नीले-हरे रंग का दिखाई देता है, जो लाल प्रकाश को अवशोषित करता है लेकिन नीले रंग को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होने देता है।

क्या आप जानते हैं?

- यूरेनस दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह था। इसकी खोज 1781 में खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने की थी, हालाँकि उन्हें शुरू में लगा था कि यह या तो धूमकेतु है या फिर तारा।
- दो वर्ष पश्चात् इस वस्तु को सार्वभौमिक रूप से एक नए ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका एक कारण खगोलशास्त्री जोहान एलर्ट बोडे द्वारा की गई टिप्पणियों में से एक था।

Source: TH

विझिनजाम तट पर समुद्री पशुपालन का शुभारंभ

सन्दर्भ

- कृत्रिम रीफ परियोजना के अनुसरण में विझिनजाम के पास समुद्र में बीस हजार पोम्पानो (ट्रेचिनोटस ब्लोची) फिंगरलिंग जमा किए गए थे।

कृत्रिम रीफ परियोजना

- कृत्रिम रीफ परियोजना को समुद्री मत्स्य संसाधनों को फिर से भरने और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - कृत्रिम रीफ, पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करके निर्मित, जटिल आवास बनाते हैं जो विविध समुद्री प्रजातियों को आकर्षित करते हैं।
- रीफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में भी कार्य करते हैं, समुद्र तल के कटाव को रोकते हैं और प्राकृतिक धाराओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हैं।
- **समुद्री पशुपालन पहल:** इसमें मछली की जनसँख्या को फिर से भरने और पुनर्जीवित करने के लिए किशोर मछलियों, जिन्हें फिंगरलिंग के रूप में जाना जाता है, को समुद्र में छोड़ना शामिल है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

- इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए लागू किया गया था।
- इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।

Source: TH

अभ्यास 'पूर्वी प्रहार'(Exercise 'Poorvi Prahar')

समाचार में

- भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में उच्च तीव्रता वाला त्रि-सेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित कर रही है।

परिचय

- **उद्देश्य:** क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत संयुक्त अभियानों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- **मुख्य विशेषताएं:** उन्नत लड़ाकू विमान, टोही प्लेटफॉर्म, हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर का उपयोग।
    - स्वार्म ड्रोन और लोइटरिंग मुनिशन जैसी नवीन तकनीकों का उपयोग।
- **महत्व:** आधुनिक युद्ध तकनीक में भारत की उन्नति को दर्शाता है।
    - देश की निर्बाध, बहु-डोमेन संचालन को क्रियान्वित करने की क्षमता को बढ़ाता है।
    - भारत की रणनीतिक निवारक क्षमताओं को मजबूत करता है।

Source: AIR

ऑपरेशन कवच (Operation Kawach)

समाचार में

- दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत अपराधियों और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

परिचय

- **ऑपरेशन कवच:** मई 2023 में शुरू किया गया, यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एक व्यापक पहल है।
- **नोट:** ऑपरेशन कवच भी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर मोर्चे को मजबूत करना और सुरक्षित करना है, विशेष रूप से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर।

Source: IE

बुकर पुरस्कार 2024

समाचार में

- ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान लिखा था।
    - कहानी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए एक दिन को दर्शाया गया है, जिसमें अंतरिक्ष से पृथ्वी की सुंदरता को प्रतिबिंबित किया गया है।

बुकर पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना और कार्यक्षेत्र:** 1969 में यू.के. में स्थापित, बुकर पुरस्कार ने शुरू में राष्ट्रमंडल लेखकों को मान्यता दी थी, लेकिन अब यह विश्व स्तर के लेखकों के लिए खुला है।
- **पात्रता:** यू.के. और आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ निरंतर कथा साहित्य को सम्मानित किया जाता है, चाहे लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- **निर्णायक मानदंड:** न्यायाधीश ऐसी पुस्तक की खोज करते हैं जो समकालीन समय के साथ प्रतिध्वनित हो और जिसका साहित्यिक महत्व स्थायी हो।
- **पुरस्कार राशि:**
    - **विजेता:** £50,000
    - **शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक:** £2,500
    - **प्रत्येक प्रायोजन:** पुरस्कारों का वित्तपोषण क्रैंकस्टार्ट द्वारा किया जाता है।

Source : TH

■■■■